Global Humanitarian & Environment Protection Trust (Regd.)

सार्वभौमिक मानवीय एवम् पर्यावरण सुरक्षा न्यास

Regd. Office : 88, Gandhi Nagar, Garh Road, Meerut - 250002 (U.P.) India.
Administrative Office : 21-Masihpuram, 960 - Civil Lines, Meerut-250003 (U.P.) India.
Email : counsel.mrt@gmail.com, indriasnicholas@yahoo.com
available on : +91 9837558388, +91 9897665741, +91 9319311325, +91 9897313016, +91 9837973240

REF.NO.MRT/GHEPT-SKS/PUBLICSCHOOL/72014.

Dated : 26 JUL 2014

TO:
MR. RAJEEV CHANDERSHEKHAR,
M.P.(INDEPENDENT)
RAJYA SABHA(UPPAR HOUSE),
PARLIAMENT SECRETARIATE,
PARLIAMENT HOUSE,
NEW DELHI:-110 003.

HON'BLE M.P. SIR,

With due regards and greeting, We salute you for raising and taken up the plights of the parents of the PUBLIC/PRIVATE SCHOOLS around the country.

As is evident from the name of our TRUST, we are deeply involved and dedicate to the humanities. We are usually raise up the matter of human right's violance with the National Human Rights Commission, New Delhi, and we are feeling pleasure to inform you that in around 10 cases enquiries have been set up by the N.H.R.C. which were lodged by our trust to the N.H.R.C.

Our Trust is with you in pious fight which you have just started.

We have come to know about your fight through your Interview published in local Hindi Newspaper, namely AMAR UJALA,MEERUT DATED 26/07/2014 on page 10, we are enclosing herewith photocopy of yours' interview.

We appriciate your efforts and extent you our moral support and blessing.

May God success you in your efforts and help you and Bless you.

With kind regards.

Encl: As above.

YOURS' FAITHFULLY,

(SATISH KUMAR SHARMA)
SECRETARY GENERAL,

GLOBAL HUMANITARIAN &
ENVIRONMENT PROTECTION TRUST
88 Gandhi Nagar, Garh Road, Meerut - 250001 (U.P.)

बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले

Amar Ujala 26/7/14

राज्यसभा के निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सदन में करोड़ों परिवार से जुड़ा ऐसा मुद्दा उठाया, जिसके बारे में जानते-बूझते भी कोई बात नहीं करता। वह है, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से मैनेजमेंट का पल्ला झाड़ना। उन्होंने सभापति हामिद अंसारी को विश्वास में लेकर स्कूल मैनेजमेंट को कानूनी दायरे में लाने की पहल की है। इसी मुद्दे पर गुंजन कुमार ने उनसे बात की-

सप्ताह का इंटरव्यू

• *निर्दलीय सांसद होने के नाते बच्चों से संबंधित इस मुद्दे को उच्च सदन में उठाने की बात अपके जेहन में आई कैसे? यह ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में सभी नेता जानते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता।*

इस साल जनवरी में बंगलूरू के एक हताश माता-पिता मेरे पास आए थे। एक बड़े स्कूल में उनके ढाई साल के बच्चे के साथ बदसलूकी हुई थी। वह संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के थे, इसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेबसी को देखकर मैंने पहल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। स्कूल ने मामला दबा दिया। मैं बच्चों पर क्रूरता को सबसे बड़ा अपराध मानता हूं। मेरा विश्वास है कि ऐसा हम सभी मानते हैं। फिर बंगलूरू के स्कूल में हाल में एक बच्ची के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली थी, मुझे पूरी तरह विचलित कर दिया। मैंने सोचा, सांसद होने के नाते मेरी जो भी ताकत है, उसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। हमने यह मामला दो बार संसद में उठाया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार बनाने के लिए सख्त कानून जरूरी है। बच्चों को हर जगह सुरक्षित माहौल देना हम सबका कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

• *क्या आपको लगता है कि जिस सदन में राजनीति से प्रेरित ज्यादातर मामले उठाए जाते हैं, वहां सरकार इस मामले पर गंभीर हो पाएगी? इस संवेदनशील और अहम मुद्दे के लिए आपका रोडमैप क्या है?*

मैंने सबसे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी से बात की। उन्होंने मेरी बात का पूरा समर्थन किया और मुझे इसे सदन में उठाने के लिए प्रेरित किया। सभापति ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर पूरे सदन को एकजुट होना चाहिए। उनकी हौसला-अफजाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। मुझे यकीन है कि अगले हफ्ते संसद में इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला होगा। यह हर घर से जुड़ा मामला है। हर शख्स किसी बच्चे का दादा, दादी, मां, बाप, भाई, बहन है। लिहाजा कोई भी इस मुद्दे से अछूता नहीं। मैंने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए बने पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कानून में संशोधन लाने का मुद्दा उठाया है। इसके तहत स्कूल प्रशासन को कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि संसद इस मामले में अपनी गंभीर प्रतिक्रिया देगी।

• *देश के बड़े निजी स्कूलों की अपनी लॉबी है। उनकी राजनीतिक साठगांठ भी मजबूत है। ऐसे में सरकार को कई अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है?*

यह अंदेशा बिल्कुल सही है। इस लॉबी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि माता-पिता को इस करार पर मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेने का मसौदा रहता है। मैंने जिस घटना का जिक्र किया, उस स्कूल ने अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से मामले को दबा दिया। लेकिन जब कोई ताकत काम नहीं करती, तो लोगों की ताकत काम करती है। अब महज कुछ घंटों भर में ही सोशल मीडिया के माध्यम से बात चारों तरफ फैल जाती है, और लोगों का गुस्सा उन्हें सड़क तक ले आता है। देखिए बंगलूरू में क्या हुआ! आम जनता सड़क पर उतर आई और सरकार को कार्रवाई करने को विवश होना पड़ा।

• *ऐसे मुद्दों पर मीडिया की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं?*

इस मामले में सोशल मीडिया के साथ टीवी और अखबारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। लोग कहते थे, देश में टेलीकॉम लॉबी बहुत मजबूत है, फिर कोयला लॉबी की बात उठी, लेकिन जब बात मीडिया में आती है, तब हालात बदल जाते हैं। फिर मैं उसी पहले मामले पर आना चाहूंगा। उस वक्त यह मामला मीडिया में नहीं आ पाया था। इसी वजह से शुरू में इसे दबा दिया गया। मैंने अपने स्तर पर राज्य सरकार से भी बात की। लेकिन मैनेजमेंट की राजनीतिक साठगांठ की वजह से वहां भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाल की घटना में मीडिया ने स्कूल प्रशासन के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। मुझे भरोसा है कि जिस तरह आपका अखबार इस मुद्दे को तरजीह दे रहा है, उससे दूसरे मीडिया संस्थान भी प्रेरित होंगे। इससे सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी ऐसे मुद्दों पर जाएगा।

बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए बने पॉक्सो कानून में संशोधन आवश्यक है। इसके तहत स्कूल प्रशासन को कानूनी दायरे में लाना चाहिए।